व्यक्ति परिवार और समाज

व्यवस्था की पहली इकाई परिवार मानी जाती है। व्यक्ति व्यवस्था की इकाई नहीं हो सकती क्योकि व्यक्ति स्वयं पैदा होता ही नहीं। उसका जन्म परिवार से होता है तथा वह बालिग होकर परिवार के रूप में ही नये व्यक्ति का निर्माण करता है। न कोई अकेला जन्म ले सकता है न ही दे सकता है। इसलिये परिवार समाज व्यवस्था का एक अनिवार्य और पहला भाग होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का अंग नहीं है तो वह अपवाद स्वरूप है या परिवार का टूटा हुआ भाग है अन्यथा सामान्यतया व्यक्ति किसी न किसी के साथ जुडकर परिवार बनाता ही है चाहे उसका रक्त सम्बन्ध हो या न हो।

व्यक्ति अकेला रह नही पाता । परिवार भी उपर की किसी इकाई से जुडकर रहना चाहता है। यह उपर की इकाई उसे सुविधा के लिये भी आवष्यक लगती है और सुरक्षा के लिये भी। इसलिये वह ऐसी इकाई के साथ तालमेल बनाकर रखता ही है। ऐसी उपर की इकाइयॉ दो प्रकार की होती हैं 1. परिवार ,गांव , जिला, प्रदेष ,देष, विष्व 2. परिवार , कुटुम्ब , जाति, वर्ण, धर्म,समाज। ये दोनो ही संगठन हजारों वर्श पूर्व से आज तक चल रहे हैं तथा आज तक यह निर्णय ही नहीं हो पाया कि आदर्ष स्थिति क्या है।

पहली व्यवस्था को कानून और राज्य का संरक्षण प्राप्त है तो दूसरी को संस्कारो और समाज का । हमारे हिन्दू धर्म ग्रन्थ भी दोनो को अलग अलग मान्यता देते रहे। प्राचीन काल का राजा सर्व षक्ति मान होते हुए भी दूसरी व्यवस्था से कभी टकराता नहीं था इसलिये कोई बाधा नही थी। राजा भी यह समझता था कि उसकी व्यवस्था की अंन्तिम इकाई गांव जिला और कभी कभी राज्य तक ही है। उसके उपर देष , महादेष और विष्व व्यवस्था से वह नहीं जुडा है जबकि व्यक्ति राज्य से उपर समाज तक जुडने की लालसा रखता है। इसलिये राजा इस जाति धर्म की व्यवस्था से कभी टकराता नहीं था बल्कि कुछ न कुछ तालमेल ही बनाकर रखता था।

दुर्भाग्य से भारत कीराज्य व्यवस्था पर विदेषी आक्रमण हुआ और राज्य व्यवस्था गुलाम हो गई। इस्लाम परिवार व्यवस्था को मानता था इसलिये उसने परिवार व्यवस्था को नहीं छेडा। किन्तु वह राज्य को धर्म का पूरक मानता था जबकि हिन्दू सस्कृति में दोनो पृथक पृथक थें। इसलिये यदा कदा इस्लामिक राजा हिन्दू संस्कृति को कमजोर करने के कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष प्रयत्न करते ही रहते थे। हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के वे कोई न कोई बहाने तो सोचते ही रहते थे किन्तु जिस तरह के अतिरंजित अत्याचार की कहानिया बताई या सुनाई जाती है, वैसी स्थिति थी ही नहीं। यदि होती तो भारत में एक भी हिन्दू बचता ही नहीं। वैसे भी हिन्दू संस्कृति में जाति भेद और धार्मिक अनुषासन भंग हेतु दण्ड स्वरूप स्थायी धर्म निश्कासन के दो प्रावधान मुसलमानो की संख्या विस्तार के लिये पर्याप्त

KASHINDIA

थे। जब अंग्रेजो का षासन आया तो उन्होने मुसलमानों के समान अत्याचार का मार्ग न पकडकर सदभाव और विकास का मार्ग पकडा। इस्लाम गुलाम बनाकर रखना चाहता था और अंग्रेज राज्याश्रित। अंग्रेजो ने भारत के ही हिन्दुओं मे अपने पिठठू तैयार किये और ऐसे पिठठुओं से परिवार , जाति, धर्म व्यवस्था के विरूद्ध सुधारवादी आवाज उठवा उठवाकर कानून के हस्तक्षेप का मार्ग प्रषस्त कर लिया। राज्य सम्मानित दो चार लोग ऐसी आवाज उठाते थे और अंग्रेज षासक उस आवाज के आधार पर कानून बना देते थे। यद्यपि ऐसे कानून जनहित में ही होते थे किन्तु ऐसे कानूनो के माध्यम से समाज की पारिवारिक, जातीय, धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का मार्ग खुलता चला गया।

स्वामी दयानन्द ने इस खतरे को महसूस किया और हिन्दू धर्म की कमजोरियों को राज्य मुक्त प्रयत्नों से दूर करने की कोषिष षुरू की। गांधी जी ने इन प्रयत्नों को तीव्र गति प्रदान की। गांधी जी ने एक ओर तो आजादी के लिये संघर्श रत समूहों के साथ तालमेल किया तो दूसरी ओर सामाजिक बुराइयों को दूर कराने के नाम पर काम कर रहें राज पिठठुओं को भी अपने साथ जोड लिया। नेहरू जी परिवार जाति वर्ण धर्म व्यवस्था को अस्वीकार करके गांव जिला प्रदेष और राश्ट्र व्यवस्था के पक्षधर थे तो अम्बेडकर परिवार, जाति, वर्ण, धर्म की नई व्यवस्था के पक्षधर। नेहरू जी व्यक्ति को व्यवस्था की पहली और स्वतंत्र इकाई मानते थे। वे समाजवाद साम्यवाद से प्रभावित होने से धर्म जाति वर्ण, परिवार का संवैधानिक व्यवस्था में अस्तित्व नही चाहते थे जबकि अम्बेडकर इसके परिवर्तित स्वरूप को चाहते थे। अन्य लोग न नेहरू के पक्ष मे थे न अम्बेडकर के। वे लोग ढुलमुल थे और ज्यादातर परिवार जाति, वर्ण, धर्म व्यवस्था के पक्ष मे ही थे।

अच्छा होता यदि उस समय कोई मार्ग निकल जाता और गांधी जी की इच्छानुसार परिवार जाति वर्ण धर्म की प्रचलित व्यवस्था से छेडछाड किये बिना परिवार गांव जिला प्रदेष और राश्ट्र व्यवस्था को ही संविधान का भाग मान लिया जाता जिस पर नेहरू जी भी सहमत थे। किन्तु न अम्बेडकर जी माने न कट्टरपंथी हिन्दू। संघ वालो ने गांधी का विरोध करके एक प्रमुख स्तंभ और कम कर किया और विचार धारा के संघर्श में नेहरू अम्बेडकर ही बच गये। संघ परिवार भी धर्म जाति व्यवस्था का पक्षधर था और अम्बेडकर भी। अन्य पटेल, राजेन्द्र बाबू आदि भी नेहरू के साथ स्पश्ट नही थे। परिणाम हुआ कि नेहरू जी ने अम्बेडकर के समक्ष समर्पण कर दिया। संघ समर्थक तथा गांधी समर्थक लोग किनारे कर दिये गये और नेहरू अम्बेडकर ने मिलकर परिवार गांव, जिंला की व्यवस्था को पीछे करके जाति, धर्म वाली व्यवस्था को संविधान के सांथ जोड दिया।

नेहरू जी परिवार, जाति , वर्ण, धर्म की व्यवस्था को अमान्य और निरर्थक करना चाहते थे और अम्बेडकर इस व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को ध्वस्त करना चाहते थे। नेहरू जी के मन में इस व्यवस्था के प्रति घृणा थी और अम्बेडकर के मन में आक्रोष । यदि उस समय संघ वाले या अन्य कट्टरवादी लोगो ने जरा भी

KASHINDIA

गांधी को समझा होता या गांधी के बाद भी नेहरू के साथ समझौता किया होता तो अम्बेडकर अलग थलग पड जाते। अब तक समाज से जाति वर्ण धर्म के विवाद भी कम हो जाते तथा परिवार गांव जिला प्रदेष की व्यवस्था भी बन जाती। किन्तु ये लोग तो किसी भी तरह मानने को ही तैयार नहीं हुए। सामंजस्य तो इन्होने सीखा ही नही। आज भी ये कट्टरपंथी लोग सामंजस्य के लिये तैयार नही।

पिछली भूलों से आगे की राह निकाली जा सकती है। दो ही संगढन के मार्ग हैं 1.परिवार ,गांव,जिला,प्रदेष, राश्ट्र, 2.परिवार ,कुटुम्ब,जाति,वर्ण,धर्म। पहली की अपेक्षा दूसरी अधिक व्यापक है। साठ वर्शो के स्वतंत्र भारत में जाति धर्म व्यवस्था मजबूत हुई है कमजोर नहीं। यह व्यवस्था न तो चल सकती है न ही चलनी चाहिये। भविश्य में इस व्यवस्था पर जोर डालने से लाभ कम होगा और नुकसान अधिक क्योकि इस व्यवस्था में कहीं तारतम्य नहीं हैं। इसकी पहले जैसी आवष्यकता भी नहीं हैं। पहले राजा के उपर कोई इकाई न होने से मजबूरी थी। अब राजतंत्र समाप्त होकर पूरी दुनियॉ एक दूसरे से जुड रहीं है। ऐसे संषोधित वातावरण में पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था चल नहींसकती।किन्तु वर्तमान जाति वर्ण धर्म व्यवस्था को निश्क्रिय तो किया जा सकता हैं,ध्वंस नहीं।पुरानी रूढिवादी परंपराऔ को मजबूत करना किसी तरह उचित नहीं और अम्बेडकर जी की इच्छाऔ को पूरा करना संभव नहीं। बीच का मार्ग ही निकालना पडेगा अर्थात् परिवार गांव जिला प्रदेष राज्य की व्यवस्था को सक्रिय करके जाति ,वर्ण ,धर्म की व्यवस्था को चुपचाप निश्क्रिय होने देना होगा। जल्द वाजी करने से टकराव भी बढेगा और अव्यवस्था भी बढेगी। जाति धर्म मान्यताओं में जीवित रह सकते हैं किन्तु व्यवस्था का आधार नहीं बन सकते। व्यवस्था का आधार तो परिवार गांव जिले ही बन सकते हैं जिधर अभी हमारी रूचि नहीं।

अब भी समय है कि हम देष काल परिस्थिति अनुसार अपनी रणनीति में संषोधन करें। भारत कभी हिन्दू राश्ट्र बन नहीं सकता और बनना भी नहीं चाहिये। भारत को जातीय संघर्श में भी उलझाना अब संभव नहीं। इस्लाम की भी भारत में पोल खुल चुकी है। इस्लाम को उसी की भाशा में सबक सिखाने वाले नरेन्द्र मोदी की मांग भी पूरे भारत में बढ ही रही है। मुसलमानो की चापलूसी में सबसे आगे नाटक करने वाले रामबिलास जी स्वंम भी नहीं जीत पाये। न धर्म प्रधान इस्लाम का सपना पूरा होगा न धर्म प्रधान संघ परिवार का। जाति धर्म से दूर धर्म निरपेक्षता को आधार घोशित करके परिवार गांव जिले को स्वायत्ता देने के संवैधानिक प्रयास ही आगे की राह बन सकते हैं। भारत तो स्पश्ट रूप से इस राह पर चलता दिख रहा है। यदि कोई इषारा न समझे तो यह उसकी भूल है।

KAASH INDIA

पत्रोत्तर

1. श्री कृश्णदेव सिंह अधिवक्ता, मउ, उत्तरप्रदेष

प्रश्न– (1) हमलोगो ने बीस तीस वर्श पूर्व संविधान बदलने से काम षुरू किया था। अब हम लोगो ने वह काम छोड क्यो दिया?

(2) महाराश्ट्र के हियरे बाजार गांव में एक प्रयोग हुआ जिसमें वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही लोक स्वराज्य प्रणाली से विकास को बहुत सफलता मिली । प्रथम प्रवक्ता में विवरण भी छपा। रामानुजगंज का प्रयोग इस प्रयोग से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रचारित क्यों नहीं हो पाया?

(3) ज्ञान तत्व अंक एक सौ छिहत्तर में आपने राजनीति में अच्छे लोग षीर्शक से जो निश्कर्श निकाले हैं वे बहुत ही निर्णायक हैं। दैनिक जागरण के एक साप्ताहिक की भी यही सोच हैं। आप आगे क्या सोच रहे हैं?

(4) हिन्दुत्व पर लिखते लिखते आपने सिखों के बिशय में जो कठोर सत्य रूप में टिप्पणी की है वह भी महत्वपूर्ण है। उधर तो किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं था। आप चौरासी में इन्दिरा जी की हत्या से उपजे आक्रोष की सम्पूर्ण भारत में हुई प्रतिक्रिया की लहर की तुलना गुजरात के गोधरा कांड से करें तो गोधरा सिख घटना की अपेक्षा कई गुना अधिक प्रभावकारी होते हुए भी गुजरात तक ही सीमित क्यों रहा? क्या भारत में मुसलमानों की अपेक्षा सिखों के खिलाफ उस समय अधिक आक्रोष था?

(5) मेरे विचार में हिन्दुत्व की एक पक्षीय उदारता उसकी कायरता है गुण नहीं। मुसलमान हमेषा आक्रामक रहा है। सिख भी उसी लाइन पर चलते रहते हैं भले ही मुसलमानों की तुलना में उसकी षक्ति बहुत सीमित है।

(6) आपने पेषेवर गांधीवादियो की सूची पर अपनी राय नहीं दी। आपने गांधी के नाम पर ऐसा काम करने वालो को किस श्रेणी में रखा है ?

उत्तर– अगले अंक मे अपनों से अपनी बात के अन्तर्गत यह बात और साफ हो जायगी। संविधान संषोधन या परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन का एक मार्ग है न कि लक्ष्य। हम अब भी संविधान में व्यापक और मौलिक संषोधनों के लिय सक्रिय हैं।

(1) न हियरे बाजार के प्रयोग को दुहराना आसान है न रामानुजगंज के। ये प्रयोग तो सिर्फ इतना ही प्रमाणित करने के लिये हैं कि यदि अकेन्द्रित व्यवस्था हो जावे तो सभी समस्याओ का समाधान संभव है। रामानुजगंज मे लोक स्वराज्य का जो प्रयोग हुआ वह मेरी तानाषाही के कारण संभव हुआ अन्यथा यदि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था का ठीक ठीक पालन होता तो यह प्रयोग संभव ही नही था। रामानुजगंज के प्रयोग को सिद्ध करने मे पूरे भारत के अच्छे अच्छे चुने हुए स्थापित विद्वानो की सोच काम कर रही थी। मेरी व्यक्तिगत सक्रियता और पहचान भी षामिल रही।

KASHINDIA

करोडो रूपया खर्च करके अनुसंधान हुआ। सर्वोदय के ठाकुर दास बंग सिद्धराज ढढा अमरनाथ भाई सरीखे लोगो ने अपना समय और षक्ति लगाई, तब कही जाकर प्रयोग सिद्ध हुआ। वह भी चुनाव लडकर प्रषासनिक ताकत मे साझीदार बनने के बाद। यदि इतनी बडी ताकत एक छोटे से षहर मे लगाकर आंषिक सफलता मिली भी तो वह सिर्फ उदाहरण के लिये ही उपयोगी हो सकती है। पुनः प्रयोग के लिये नही हो सकती । हमारे मित्र ऐसा ही देखा देखी प्रयोग करने की सोचते है जो व्यर्थ की कसरत है। मेरे जैसा तानाषाह और बंग जी सरीखा मार्ग दर्षक तथा फिर रामानुजगंज सरीखे नागरिक आप कैसे इकठे करेगे। आपने देखा ही है कि प्रषासन की ताकत कितनी लम्बी है। बारह वर्श पूर्व का उसका भीशण आक्रमण कोई साधारण तो था नही। यदि हम पूरी तरह अहिसंक और गांधीवादी आत्म बल से परिपूर्ण नही होते तथा स्थानीय नागरिको का जनमत साथ नही होता तो हम तो चींटी के समान कुचले जाते। प्रषासन की ताकत कितनी अधिक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइये कि एक प्रसिद्ध गांधीवादी तो दस वर्श बाद भी ऐसी दलाली कर रहे है प्रषासन गांधीवादी विद्वानो के बीच भी अपने दलाल खडे करने मे सफल हो जाता है जबकि बंग जी सरीखे गांधीवादी और रामानुजगंज का सफल प्रयोग एक साथ उदाहरण स्वरूप खडे है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि प्रयोग को उदाहरण तक ही उपयोग करने की आवष्यकता है इससे अधिक नही। जनता को समझाने के लिये हिपरे बाजार या रामानुजगंज के उदाहरण पर्याप्त है उससे अधिक नही क्यो कि ये उदाहरण व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग नही है। व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग है संविधान मे व्यापक संषोधन और उस मार्ग मे सहायक है रामानुजगंज या हिपरे बाजार के उदाहरण।

मै आपको जानकारी दे दूॅ कि मेग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अरविन्द केजरीवाल जी लोक स्वराज्य पर बहुत अच्छी खोज कर रहे है। आप उनसे भी जुडने की कृपा करे। उनका पता है

अरविन्द केजरीवाल
403 एल गिरनार कौशाम्बी
गाजियाबाद उ0प्र0

(2) ज्ञानतत्व एक सौ छिहत्तर मे राजनीति मे अच्छे लोग षीर्शक से मैने कुछ निश्कर्श निकाले थे। किन्तु वर्तमान लोकसभा चुनावो के संदर्भ मे वे निश्कर्श अव्यावहारिक समझ कर वापस ले लिये गये है। ऐसा लगता है कि वर्तमान राजनैतिक दिषा को भी लोक स्वराज्य की दिषा मे मोडने का विकल्प खुला रखना चाहिये। व्यवस्था परिवर्तन के तीन मार्ग है (1) वर्तमान राजनैतिक दल किसी संविधान संषोधन द्वारा नीचे की इकाइयो को कुछ अधिकार देने की पहल करे (2) किसी लोकसभा चुनाव मे लोक स्वराज्य के लोग बहुमत मे जीतकर संविधान

KASHINDIA

संषोधित कर दें। (3) भारत के आमनागरिक मजबूत परिवार और समाज व्यवस्था के लिये ऐसा प्रबल जनमत खडा कर दें कि वर्तमान सत्ता लोलुप व्यवस्था मजबूर हो जावे। अभी तीनो विकल्प खुले है। मैने चुनावो के पूर्व एक विकल्प को असंभव मान लिया था किन्तु जिस तरह चुनाव परिणाम आये वे बिल्कुल भी निराषा जनक नही होने से मैनें उक्त लेख वापस लिया है।

(3) सिखो ने कभी भी हिन्दुओ पर अत्याचार नही किया जैसा कि इस्लाम ने किया। इस्लाम के समक्ष सिख संगठन की तुलना करना ही ठीक नही है। यह जरूर है कि इस्लाम भी एक संगठन है और सिख भी। सामने वाले की सदाषयता का लाभ उठा कर अपने संगठन का विस्तार इनका स्वभाव है । सिखो के विरूद्ध चौरासी का आक्रोष क्षणिक था तथा तात्कालिक था। कोई मां अपने किसी नटखट बच्चे की अनुचित मांग के समक्ष झुकते झुकते परेषान होकर उसे दो चार झापड लगा भी दे और पुचकार भी ले उससे अधिक महत्व उसका नही। मुसलमानो का मामला गंभीर है दीर्धकालिक है तथा खतरनाक है। वह गुजरात जैसे छोटे मोटे झापड से नही निपट सकता। यही कारण हैकि पंजाब की प्रतिक्रिया कुछ ही महिनो मे समाप्त हो गई जबकि गुजरात की प्रतिक्रिया अब तक समाप्त नही हुई है। उस समय गुजरात दंगो की आग गुजरात के बाहर नही फैली उसका एकमात्र कारण केन्द्र मे अटल जी का प्रधानमंत्रित्व था। उन्होनें पूरी इमानदारी से दंगो को रोका यदि उस समय अटल जी की जगह कोई और भाजपाई प्रधान मंत्री होता तो वह आग नही रूकती।

(4) एक पक्षीय उदारता देष काल परिस्थिति अनुसार ही गुण या अवगुण होती है। इसका कोई निष्चित अर्थ नही। जब समाज व्यवस्था ठीक चल रही हो तो ऐसी उदारता गुण है। जब समाज व्यवस्था ठीक नही चल रही हो तो एक पक्षीय उदारता अवगुण है । ऐसे समय मे परस्थिति अनुसार उदारता उचित है। किन्तु जब व्यवस्था दुश्ट प्रवृत्ति के लोगो के हाथों सिमट चुकी हो तब उदारता कायरता बन जाती है । हम व्यक्ति की एक पक्षीय उदारता की चर्चा नही कर रहे बल्कि हिन्दू समूह की उदारता की चर्चा कर रहे है। भारत मे हिन्दुत्व को खतरा है इस्लाम और इसाइयत से जो हिन्दुत्व को संख्या बल मे कमजोर करने का प्रयास करते रहते है। इनमें भी इसाई धन बल का सहारा अधिक लेते है और इस्लाम संगठन षक्ति का। अभी भारत मे लोकतंत्र है। न इस्लाम का षासन है न इसाइयत का। ऐसी स्थिति मे हिन्दुत्व के समक्ष एक पक्षीय खतरा नही है। किन्तु संध परिवार द्वारा हिन्दुत्व के राजनैतिक उपयोग के प्रयत्नो के कारण अन्य दलों ने इस्लाम और इसाइयत का एकपक्षीय समर्थन करना षुरू कर दिया जिसका संगठित लाभ इस्लाम ने उठाया है। ऐसी परिस्थिति मे संध विरोधी दलों का एक पक्षीय इस्लाम समर्थन हिन्दुत्व के लिये खतरा बनता जा रहा है। इस्लाम तो स्वयं ही दुनिया के लिये खतरा बना रहता है। यदि उसे राजनैतिक सत्ता का समर्थन मिल जावे तब तो फिर पूछना ही क्या है। ऐसी परिस्थिति मे हिन्दुत्व को इस्लाम के साथ व्यावहारिक नीति निर्धारण

KASHINDIA

मे उसकी एक पक्षीय उदारता धातक होगी। सबसे अच्छा मार्ग है कि मुसलमानों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक मामलों मे उदारता का व्यवहार किया जाय और धार्मिक मामलों मे पूरी तरह सतर्क रहें या दूरी बनाकर रखें। वर्तमान समय मे सब लोग नीति निर्धारण इससे विपरीत करते है। वे धार्मिक मामलों मे तो उदारता का व्यवहार करते है और सामाजिक पारिवारिक मामलो मे कट्टरता का जो ठीक नही। फिर भी इस्लाम के मामले मे एक पक्षीय उदारता हिन्दुत्व के लिये धातक मानना चाहिये किन्तु गुण दोश के आधार पर नीति बनाना ठीक रहेगा।

(5) पेषेवर गांधीवादियों की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण नही है कि हर अंक मे उसकी चर्चा की जावे। आप चूकि सर्वोदयी भी है और गांधीवादी भी । इसलिये यह आपका विशय हो सकता है मेरा नही। फिर भी यदि कोई विषेश चर्चा आवष्यक होगी तो लिखियेगा। वैसे अगले अंक मे पूरी योजना जायगी तब आप स्वयं ही समझ जायेगे कि समाज निर्माण की प्रबल आंधी मे गांधी के नाम पर पेट भरने वाले तथा कथित गांधीवादियों की चर्चा कितनी महत्व रखती है।

KAASH INDIA